प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

10 मार्च 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ''कैंटीन भंडार विभाग के कार्यचालन'' संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 38 कैंटीन भंडार विभाग के कार्यचालन आज संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कैंटीन भंडार विभाग (सीएसडी) सेवा कर्मियों तथा रक्षा असैनिकों को बाज़ार से कम दामों पर गुणवत्तायुक्त उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायीहै। आज की तारीख में सीएसडी के साथ पंजीकृत उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या 5500 से अधिक है। सीएसडी अपने एक बेस डिपो तथा 34 एरिया डिपो की श्रृंखला के ज़रिए एक थोकविक्रेता के रूप में कार्य करता है तथा खुदरा प्रचालन लगभग 4000 युनिट रन कैंटीन(यूआरसी) के माध्यम से चलाए जाते हैं। ये युनिट रन कैंटीन जिसमें कुछ बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं, इन वस्तुओं को अंततः लाभार्थियों को बेच देती है।

विभाग के अधिदेश तथा दायित्व को ध्यान में रखते हुए, जुलाई 2015 से नवंबर 2015 तक "कैंटीन भंडार विभाग के कार्यचालन" की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई जिससे कि यह आश्वासन प्राप्त हो सके कि सीएसडी अपने इस आदर्श उद्देश्य को अधिकतम उपभोक्ता माँग संतुष्टि के साथ पूरा करने में समर्थ था। प्रणाली संबंधी कमियों को रेखांकित करते हुए तथा उपचारात्मक उपायों की सिफारिशेंकरते हुए, यह रिपोर्ट डिपो एवं यूआरसी के प्रचालनों में समग्र सुधार लाने का प्रयास करती है।

लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित थेः

1. वस्तुओं की प्रस्तुति

आपूर्तिकर्ताओं के निवेदन पर सामान्यतः सीएसडी वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है। बाज़ार सर्वेक्षण तथा गुणवत्ता जाँचे बिना तथा आयातकर्ता और प्रधान उत्पादक के बीच हुए अनुबंध की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना आयातित वस्तुओं को प्रस्तुत किया गया।

2. बेस डिपो का अनार्थिक कार्यचालन

पीएसी ने सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुँचने के लिए इच्छा व्यक्त की थी ताकि न तो सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर विपरीत प्रभाव पड़े और न ही मूल्य वर्धित कर (वैट) के भुगतान में भारी रूकावट या विलंब हो। हमने देखा कि डिपो का वाणिज्यिक प्रचालन अनार्थिक रूप से किया जा रहा था। ₹485.47 करोड़ की वैट वापसी पर रूकावट तथा उपभोक्ताओं पर ₹ 43.89 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बेस डिपो के ऊपर अत्यधिक निर्भरता के कारण हुआ।

3. अनुचित तरीके से वस्तुओं/चीजों की कीमतों का निर्धारण करना

सीएसडी मूल्य संरचना में विभिन्न आकस्मिक प्रभारों के रूप में बीमा प्रभार,किराया प्रभार और क्लियरिंग प्रभारों को अपनी व्ययराशि से अधिक भारित कर रही थी जिससे उस हद तक कम दरों के लाभ में गिरावट आ गई। इसके अतिरिक्त, अपने मुनाफों का आकलन करते समय सीएसडी शराब के आबकारी शुल्क पर भी, जो एक स्थानीय लेवी है लाभ को भारित कर रही थी जिसके कारण देश भर में स्थानीय लेवी को छोड़कर बिक्री की कीमतों की एकरूपता जैसा कि मूल्य निर्धारण नीति में परिकल्पित था को हासिल नहीं किया जा सका।

4. कीमतों के संशोधन में अनियमितता के परिणामस्वरूप उपभोक्तोओं पर अतिरिक्त बोझ

सीएसडी इन्वैंट्री में रखी गई वस्तुओं की कीमत में आई भिन्नता की निगरानी के लिए कोई विशिष्ट तंत्र या प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया इसलिए आपूर्तिकर्ता कीमतों के गिरावट से प्राप्त होने वाले लाभ को सीएसडी को टालने में सफल रहा। इसके अतिरिक्त,आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित कीमत संशोधन पर अंतिम निर्णय/अनुमोदन मिलने में विलंब के कारण कीमत की गिरावट की ₹6.61 करोड़ राशि जिसे आपूर्तिकर्ताओं से वसूला गया,का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँचाया जा सका।

5. गुणवत्ता नियंत्रण

समग्र खाद्य प्रयोगशालाओं (सीएफएल) द्वारा ही परीक्षण को सीमित रखने के कारण एवं वस्तुओं की गुणवत्ता जाँच के लिए अतिरिक्त मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की गैर-पहचान के कारण सीएसडी निर्धारित नीति के अनुसार गुणवत्ता परीक्षण कराने में असफल रहा। पीएसी को आश्वासन देनेके बावजूद निर्धारित चक्र तहत सीएसडी को आपूर्ति की गए वस्तुओं का परीक्षण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त,सीएसडी परीक्षण की रिपोर्टों की निगरानी तथा समयानुसार प्राप्ति को सुनिश्चित करने में भी असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप परीक्षण का उद्देश्य ही विफल हो गया।

6. कैंटीन व्यापार अधिशेष से प्राप्त अनुदान सहायता की संवितरण

यद्यपि मंत्रालय ने सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) प्रावधानों के अनुसार,प्राथमिक तौर पर सेवा कार्मिकों के कल्याण के लिए अनुदान सहायता की संवितरणी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे,फिर भी दिशा-निर्देशों/जीएफआर के पालन न करने संबंधी मामलों को जैसे कि सरकारी विभागों जैसे सीएसडी,कैंटीन सेवाओं का नियंत्रण बोर्ड (बीओसीसीएस) तथा रक्षा मंत्रालयके लिए अनुदान की मंजूरी,दिशा-निर्देशों में निर्धारित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अनुदानों का प्रयोग,निधि का लाभ लेने हेतु लाभार्थियों द्वारा गलत प्रमाणपत्रों को जारी किया जाना,अनुप्रयुक्त अनुदान की गैर वापसी इत्यादि लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लेखों में शुद्ध मुनाफ़ा के गलत चित्रण को महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ (डीजीएडीएस) द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्र में इंगित किया गया। तथापि, मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत कैंटीन व्यापार अधिशेष (सीटीएस) डीजीएडीएस द्वारा प्रमाणित किए गए लेखों पर आधारित नहीं थे जिसके फलस्वरूप सेवाओं में अतिरंजित सीटीएस का संवितरणकिया गया ।

7. वैट का प्रबंधन

विभिन्न राज्य सरकारों की वैट अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन में विसंगतियों के परिणामस्वरूप वैटवापसी दावों के लंबे बकाए (₹ 1001.97 करोड़) के कारण सरकारी निधि में रूकावट,राज्य सरकारों द्वारा वैटकी अस्वीकृति (₹43.47 करोड़),गलत वैट रिटर्न के जमा होने पर दंड तथा उचित रूप से वैट अधिसूचना का अक्रियान्वयन (₹ 23.77 करोड़) देखा गया। इसके अतिरिक्त,सीएसडी थोक विक्रय मूल्य को आकलन करते समय वैट राशि को शामिल करने में असफल रही जिसके परिणामस्वरूप ₹43.78 करोड़ का नुकसान हुआ।

8. हितों में विवाद के परिणामस्वरूप कमज़ोर सतर्कता नियंत्रण

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में,सीएसडी मुख्यालय में खरीद अधिकारी,सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था। डिपो द्वारा जारी भंडारो की मात्रा को यूआरसी के लेखों के साथ मिलान करने के बावजूद सीएसडी यूआरसी से भंडारों के लीकेज का पता लगाने में असफल रहा।

9. यूआरसी के द्वारा वैट संबंधी मामलों में विसंगतियाँ

वैटके क्रियान्वयन में आई कई विसंगतियाँ जैसे कि राज्य वाणिज्य कर विभाग के साथ अपंजीकरण तथा वैट का अक्रियान्वयन,रियायती वस्तुओं पर वैट के एकत्रीकरण को देखा गया।

10. मात्रात्मक छूट)क्यूडी (के लेखाकरण में अनियमितताएँ

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के प्रावधानों का पालन किए बिना क्यूडी राशि को संस्वीकृत किया जा रहा है तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है

जैसा कि उच्चतर फार्मेशन के लिए ₹29.49 करोड़ का हस्तांतरण,निधि का पूर्ण प्रयोग किए बिना प्रयुक्ति प्रमाणपत्र (यूसी) को प्रस्तुत करना तथा उनके खातों में (₹10.11 करोड़) अव्ययित राशि को बनाए रखना।

11. शराब केआहरण में अनियमितताएँ

20 यूआरसी में पात्रता की तुलना में शराब का अधिक आहरण जो कि 5,14,369 युनिट तक था और ₹ 100 रम बोतल की न्यूनतम दर पर ₹ 5.14 करोड़ के मूल्य का था,को देखा गया जिसका खुले बाज़ार में अवैध रूप से विक्रय हो सकता है।